संख्या- I/1343959/2026/मु0मं0न0सृ0यो0/9-2-2026-ई-1863306

प्रेषक,

देवेश मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 27-05-2026

विषय:-मुख्यमंत्री नगर सृजन योजनान्तर्गत विस्तारित नगर पालिका परिषद बिजनौर, जनपद-बिजनौर को द्वितीय किश्त अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-तक0सेल/1872/21(4) मु0मं0न0 सृ0यो0/2025-26, दिनांक-29.03.2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से विस्तारित नगर पालिका परिषद बिजनौर, जनपद-बिजनौर को वित्तीय वर्ष 2024-25 में अवमुक्त प्रथम किश्त की धनराशि से कराये गये कार्यों के अद्यतन फोटोग्राफ्स, समिति की निरीक्षण आख्या एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराते हुये द्वितीय किश्त अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्यमंत्री नगर सृजन योजनान्तर्गत विस्तारित नगर पालिका परिषद बिजनौर, जनपद-बिजनौर को शासनादेश संख्या-135/ 2024/ 562/ मु0मं0न0सृ0यो0/ 9-2-2024- ई0-1863306, दिनांक-23.11.2024 एवं शासनादेश संख्या-29/291मु0मं0न0सृ0यो0/9-2-2024-ई0-1825069, दिनांक-31.07.2024 द्वारा अवमुक्त प्रथम किश्त के उपभोग के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष2026-27 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के संगत लेखाशीर्षक के अन्तर्गत अवशेष धनराशि से तालिका में उल्लिखित 12 कार्यों की अवशेष द्वितीय किश्त की कुल धनराशि रू0 13169058.00 (रू0 एक करोड़ एकतीस लाख उनहत्तर हजार अठावन रुपये मात्र)की वित्तीय स्वीकृति कतिपय शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष् स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

क्र0 सं0	कार्य का नाम	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि	निविदा की धनराशि	प्रथम किश्त की निर्गत धनराशि का विवरण	द्वितीय किश्त के रूप में अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	मौहल्ला काजीपाडा आंशिक फरीदपुर काजी में बब्लू के मकान से हेमराज रोड तक सी0सी0 रोड व नाली तथा इंटरलाकिंग टाईल्स का निर्माण कार्य।	3420000.00	3416982.07	1710000.00	1706982.07
2	मौहल्ला रामबाग घेर में मीर शाह रोड पर भारत के मकान से चक्कर रोड तक नाला निर्माण कार्य।	2607000.00	2604052.79	1303500.00	1300552.79
3	वार्ड न016, मौ0 महादेव पुरम कॉलोनी में अमित कुमार के मकान से ट्रान्सफारमर चौराहे सी0सी0 रोड़ व नाली, इन्टरलाकिंग साईड पटरी का निर्माण कार्य।	3084000.00	3077408.09	1574000.00	1503408.09
4	वार्ड संख्या 20, मौ0 सुरेन्द्र नगर कॉलोनी में राजीव कुमार के मकान से श्रीमती विनिता रानी के मकान तक सी0सी0 रोड़ व नाली निर्माण कार्य।	2071000.00	2069578.11	1035000.00	1034578.11

5	वार्ड नं0 25, गोर गरीबा रोड पर फुरकान के मकान से मन्सूर के मकान तक सी0सी0 रोड़ व नाली का निर्माण कार्य।	133000.00	1328549.68	665000.00	663549.68
6	वार्ड नं0 31, चान्दपुर रोड़, फरीदपुर उद्दा में जब्बार खान के मकान से शानू के मकान तक सी0सी0 रोड़ व नाली का निर्माण कार्य।	552000.00	551438.97	276000.00	275438.97
7	वार्ड नं0 31, सिरधनी रोड़ पर, शहनाज़ स्कूल से शहजाद के प्लॉट तक सी0सी0 रोड़ व नाली का निर्माण का कार्य ।	1172000.00	1169597.14	586000.00	583597.14
8	वार्ड नं002, मौ0 जाटान में चामुण्डा मंदिर गेट से चक्कर बाईपास पी0डब्लू0डी0 रोड तक नाला का निर्माण कार्य।	2509000.00	2505219.24	1254000.00	1251219.24
9	वार्ड नं0 11, मौ0 बुखारा में जलालुद्दीन स्कूल से रेलवे लाईन क्रोसिंग तक नाला का निर्माण कार्य।	1826000.00	1823719.13	913000.00	910719.13
10	वार्ड नं0 06, नगीना रोड़ सामने शुगर मील, शलेन्द्र हेयर सैलून से वेव इंडस्ट्रीज मैन गेट तक आर0सी0सी0 नाला का निर्माण कार्य।	3424000.00	3418366.46	1574000.00	1844366.46
11	वार्ड नं0 15, नूरपुर रोड पर ऐश्यिन इन्सटीटयूट से एन0एस0 इन्टरप्राईसेस की ओर तक नाला का निर्माण कार्य।	2151000.00	2148713.68	1075000.00	1073713.68
12	वार्ड न0 17, मौ0 सिविल लाईन प्रथम व रशीदपुर गढ़ी आं0 नजीबाबाद रोड पर, जुलफुकार ओटो सर्विस से रेलवे फाटक तक नाला का निर्माण कार्य।	2046000.00	2043933.44	1023000.00	1020933.44
1 % (A&OE)					
योग		**26192000.00**	**26157558.00**	**12988500.00**	**13169058.00**

नियम व शर्तें/प्रतिबन्ध:-

1. इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-1489/नौ-9-2022-84ज/22, दिनांक-08.08.2022 के माध्यम से निर्गत मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना की गाईडलाईन्स के दिशा-निर्देशों में निर्धारित प्रक्रियानुसार सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त सम्बन्धित निकाय को व्यय हेतु उपलब्ध करायी जायेगी।

2. धनराशि का आहरण राजकोष में तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा और धनराशि आहरित करके अनावश्यक रूप से बैंक/डाक घर में नहीं रखी जायेगी।

3. कार्यों हेतु निकाय स्तर पर गठित बोर्ड के अनुमोदनोपरान्त ही कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

4. अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपभोग नियमानुसार स्वीकृत किये गये कार्यों पर ही व्यय कीजायेगी।

5. कार्यों की मात्राओं के निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/निकाय का होगा।

6. धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप ही किया जायेगा।

7. प्रश्नगत कार्य करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर कार्य प्रारम्भ किये जायें तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने तथा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों का क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही कार्य प्रारम्भ किया जाये।

8. कार्यों की विशिष्टियाँ, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी सम्बन्धित निकाय की होगी तथा निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा/अवधि में ही पूर्ण हो जाये।

9. प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाये। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमोंके अनुसार किया जायेगा।

10. कार्य स्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत 'डिस्प्ले बोर्ड' पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था/कार्य प्रारम्भ होने की तिथि का उल्लेख किया जायेगा।

11. व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन तथा महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज को समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जायेगा।

12. लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

13. इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों के वित्त नियन्त्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखा अधिकारी अथवा सहायक लेखा अधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो, तो सम्बन्धित वित्त नियन्त्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्रशासकीय विभाग तथा वित्त विभाग को दी जायेगी।

14. सम्बन्धित निकाय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्यों हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोतों से धनराशि स्वीकृत न की गयी हो तथा न ही वर्तमान में यह कार्य किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में सम्मिलित है। योजनान्तर्गत यदि किसी कार्य की द्विरावृत्ति होती है, तो सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी तथा वित्त एवं लेखा संवर्ग के अधिकारी द्वारा शासन को सूचित किया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारी तथा वित्त एवं लेखा संवर्ग के अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

15. कार्यों के लिये स्वीकृत धनराशि का व्यय निविदा/कार्यादेश निर्गत होने की सीमा तक किया जायेगा तथा शेष धनराशि वापस राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करेगें।

16. निर्गत की जा रही धनराशि एक सप्ताह के अन्दर कार्य प्रारम्भ करने हेतु निकाय को उपलब्धकरायी जाये।

17. निर्गत की जा रही धनराशि से निकाय द्वारा अतिशीघ्र कार्य पूर्ण कराते हुये कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र के साथ शासनादेश सं0-1489/नौ-9-2022-84ज/22, दिनांक-08.08.2022 में दिये गये निर्देशानुसार कार्यों की जांच आख्या, उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं मूल फोटोग्राफ्स निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय एवं शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

18. इस सम्बन्ध में शासनादेश सं0-1489/नौ-9-2022-84ज/22, दिनांक-08.08.2022 के माध्यम से निर्गत मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी द्वारा समय-समय पर आवश्यकतानुसार कार्यों की जाँच कर गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी। इस हेतु विकसित डैश बोर्ड पर योजना की भौतिक/वित्तीय प्रगति एवं फोटोग्राफ्सअपलोड किये जायेंगे।

19. निकाय द्वारा यह विशेष रूप से ध्यान रखा जायेगा कि किसी भी दशा में नवसृजित/विस्तारित नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद क्षेत्र में ही निर्माण कार्य किया जाय। इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित जिलाधिकारी/अध्यक्ष, संबंधित निकाय/अधिशासी अधिकारी, संबंधित निकाय की होगी।

20. स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय हेतु वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक-28-मार्च, 2026 की शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,31,69,058 (रुपये एक करोड़ इकतीस लाख उनहत्तर हजार अट्ठावन मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2217801920300 उच्चीकृत/सीमा विस्तारित नगर पालिका परिषदों

में अवस्थापना सुविधाओं का विकास मानक मद 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

Digitally signed by
DEVESH MISHRA
Date: 27-05-2026
11:32:42

(देवेश मिश्र)
संयुक्त सचिव।

संख्या-I/1343959/2026/2026/मु0मं0न0सृ0यो0-9-2-2026 तद् दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(3) मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, कोषागार, लखनऊ।
(4) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(5) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(6) मण्डलायुक्त, मुरादाबाद ।
(7) जिलाधिकारी, बिजनौर ।
(8)निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ।
(9) सहायक निदेशक, (वित्त), नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
(10) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0शासन।(11) अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, विस्तारित नगर पालिका परिषद बिजनौर, जनपद- बिजनौर ।
(12) कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
(13) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(देवेश मिश्र)
संयुक्त सचिव।